संख्या- 9/2018/1157/छप्पन-2017-83/1997

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक :29 जनवरी, 2018

विषय :श्री शोभित दास, सेवानिवृत्त वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता की पत्नी की चिकित्सा पर हुए व्यय रू0 5,98,777/- की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 441/ना0उ0नि0/लेखा/16, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री शोभित दास, सेवानिवृत्त वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सुमिता दास का एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में कराए गए उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय रू0 5,98,777/-(रूपए पांच लाख अट्ठानवे हजार सात सौ सतहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आहरण वितरण अधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि श्री शोभित दास, सेवानिवृत्त वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता को उक्त दावे का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है।

(2) इस निमित्त श्री शोभित दास, सेवानिवृत्त वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता को, यदि कोई अग्रिम प्राप्त हुआ है, तो उसका समायोजन कर लिया जाए।

(3) अनिवार्यता प्रमाण पत्र में इंगित इलाज की अवधि से भिन्न तिथियों के बिलों का भुगतान न किया जाए।

उक्त दावों से सम्बन्धित अनिवार्यता प्रमाण पत्र, बिल, बाउचर मूल रूप में संलग्न हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-62 के लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों तथा उनके अश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश चिकित्सा विभाग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014, अधिसूचना संख्या-474/पांच-6-14-1082/87टीसी, दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारी के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0 :9/2018/1157(1)/छप्पन-2017-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
7- सम्बन्धित कार्मिक ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।